



संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical
Sciences, Raebareli Road, Lucknow-226014 (INDIA)
Phone: 0522-2494065 Fax: 91-0522-2668078, 2668017

पत्रांक: पी0जी0आई0/मु0चि0अ0/पी0एस0/3245/2025

दिनांक: 29 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

विषय: आगामी आने वाले त्यौहार नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली (22-09-2025 से 22-10-2025 तक) के दृष्टिगत लखनऊ में चिकित्सकों एवं चिकित्सीय औषधियों/उपकरणों की आकस्मिक आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 923 (1)/पाँच-5-2025 दिनांक: 19-09-2025 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र संख्या: मु0चि0अ0/त्यौ0/चि0व्य0/2025/14890-34 दिनांक 19-09-2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 22-09-2025 से 22-10-2025 तक नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली इत्यादि त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियाशील, संवेदनशील और सुदृढीकरण रखने हेतु दिनांक 22-09-2025 से 22-10-2025 तक इमरजेन्सी डिपार्टमेन्ट एवं अपेक्स ट्रामा सेन्टर हाई अलर्ट पर रहेगा एवं इस संस्थान के अधोलिखित संकाय सदस्यों/चिकित्सकों को आकस्मिक आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने हेतु नामित किया जाता है।

क्र0 सं0	सम्बन्धित विशेषज्ञता	नमित संकाय सदस्य/चिकित्सक	मोबाइल नं0	ड्यूटी की तिथि
1	इमरजेन्सी डिपार्टमेन्ट	इमरजेन्सी (पी0आर0ओ0) 24x7	8004901818	22-09-2025 से 22-10-2025 तक
		डॉ0 तनमय घटक	8005385187	
		डॉ0 उत्सव आनन्द मणि	9920611314	
2	अपेक्स ट्रामा सेन्टर	ए0टी0सी0 इमरजेन्सी 24x7	8004900249	22-10-2025 तक
		सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम 24x7	8005384903	
		प्रो0 (डॉ0) राजेश हर्षवर्धन	7054111213	

उक्त आदेशों का सम्बन्धित चिकित्सक/नोडल अधिकारी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रो0 देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ
2. निदेशक महोदय को सूचनार्थ
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
4. चिकित्सा अधीक्षक
5. उपरोक्त नामित चिकित्सक एवं नोडल अधिकारी
6. विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन को उचित मात्रा में रक्त व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेण्ट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु।
7. विभागाध्यक्ष, आकस्मिक चिकित्सा एवं चीफ, अपेक्स ट्रामा सेन्टर को उचित चिकित्सीय व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेण्ट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु।
8. विभागाध्यक्ष, ऑपथोलमोलोजी विभाग को उचित चिकित्सीय व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेण्ट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु।
9. विभागाध्यक्ष, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग को उचित चिकित्सीय व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेण्ट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु।

Prof. Devendra Gupta
CMS
S.G.P.G.I.M.S., Lko



संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical
Sciences, Raebareli Road, Lucknow-226014 (INDIA)
Phone: 0522-2494065 Fax: 91-0522-2668078, 2668017

- 2 -

10. विभागाध्यक्ष पैथोलोजी को पैथोलोजी सेवाओं की उपलब्धता/क्रियाशीलता सुनिश्चित किये जाने हेतु।
11. अध्यक्ष एच0आर0एफ0 को आकस्मिक सेवाओं में सभी आवश्यक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर पर आवश्यक मात्रा में सुनिश्चित किये जाने हेतु एवं एन्टी स्नेक वेनम तथा एन्टी रैबीज वैक्सिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
12. समस्त विभागाध्यक्ष को उचित चिकित्सीय व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेंट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु।
13. विभागाध्यक्ष बी0एच0आई0 को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी अधिकारी वाहन को सभी एम्बुलेन्स सेवाओं की क्रियाशीलता/व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
15. अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (सिविल), को चिकित्सा भवनों की स्ट्रक्चर सुरक्षा, अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा का सतत अनुश्रवण किये जाने तथा परिसर में बिजली एवं पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु।
16. नोडल अधिकारी (सुरक्षा) को अस्पताल की सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पूर्व में जारी निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
17. नोडल अधिकारी (सैनीटेशन), वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता अधिकारी को चिकित्सा भवनों में स्वच्छता बनाये रखे जाने हेतु।
18. मुख्य नर्सिंग अधिकारी
19. पी0आर0ओ0 / ए0पी0आर0ओ0

Prof. Devendra Gupta
8/10/2017

(प्रो० देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Prof. Devendra Gupta
CMS
S.G.P.G.I.M.S., Lko